संख्या– / ।।–2018–04(05) / 2018

प्रेषक,

देवेन्द्र पालीवाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 25 मई, 2018

विषय : वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुरक्षण मद के अन्तर्गत सिंचाई लिफ्ट / सिंचाई नलकूप योजनाओं पर विद्युत देयको के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1722 / प्र0अ0 / बजट / बी–1(सामान्य) दि0 03.05.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुरक्षण मद के अन्तर्गत सिंचाई लिफ्ट / सिंचाई नलकूप योजनाओं के विद्युत देयको के भुगतान हेतु कुल रू0 4600.00 लाख (रू0 छियालिस करोड मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार वर्णित अनुदान / लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत अधोलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. स.	मद सं0 / नाम	वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राविधानित धनराशि	वित्तीयवर्ष 2018–19 में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
	2702		
2	102–लिफ्ट सिंचाई योजनायें		
	03–रखरखार्व		
	09–विद्युत देय	600.00	600.00
	29–अनुरक्षण		
3	103–नलकूप		
	03–रखरखाव		
	09–विद्युत देय	4000.00	4600.00
	29–अनुरक्षण		
	योग 2702	4600.00	4600.00

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय नियमानुसार किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा।

(ii) उक्त स्वीकृति के अधीन आहरण एवं व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 आदि सुसंगत प्राविधानों, वित्तीय नियमों एवं मितव्ययता सम्बन्धी समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(iii) स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(iv) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रतिमाह व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन को ससमय उपलब्ध करायी जाय। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 519/3(150)–2017/**XXVII**(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत उल्लिखित तालिका में वर्णित शीर्षकों/उपशीर्षकों के अन्तर्गत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 519/3(150)–2017/**XXVII**(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 201 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।

संख्या–830 (1)/ II(2)2018–04(05)/2018तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–2), उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8. वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, द्वारा प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव